न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 160/2015

1. गुरदपीसिंह } पिसरान तेजासिंह उर्फ प्यारासिंह जाति मजहबीसिख निवासी
2. गुरदेवसिंह } मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलार्थीगण

बनाम

सुरेन्द्रपालसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति महजबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर । – रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 30.06.2015

उपस्थितिः–

श्री हंसराज तनेजा अभिभाषक अपीलार्थी

श्रीमती मन्जू गुप्ता अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक 30.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे चक 3 एल बड़ा के मु.न. 31 के कि.न. 1 से 13 की 12.10 बीघा भूमि में से प्रार्थी को बेदखल न करे एवं रहन बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करे । अप्रार्थीगण को जबाव पेश करने हेतु काफी अवसर दिये जाने के पश्चात जबाव पेश नहीं करने पर उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 30.06.2015 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निर्णय तक विवादित भूमि के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति रखने एवं रहन

30/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बैय आदि से अन्तरण नहीं करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में यह अंकित है कि अपीलांट द्वारा जबाब पेश नहीं किया गया जबकि दिनांक 25.06.2015 को जबाब पेश किया गया था। किन्तु अधी. न्यायालय ने उसका हवाला न देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट विवादित भूमि के अभिलिखत खातेदार हैं जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने रहन, बैय नहीं करने बाबत स्थगन आदेश दिया है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि का हस्तातंरण हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद पैदा होने की सम्भावना रहेगी। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार कर कोई भूल नहीं की। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाब अपीलांट द्वारा पेश किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलांट ने अपनी अपील में यह अंकित किया है कि उसके द्वारा दिनांक 25.06.2015 को जबाब पेश किया था जबकि दिनांक 25.06.2015 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं निर्णय हेतु पत्रावली 30.06.2015 को नियत की गई। अपीलांट द्वारा रेस्पों. के प्रा. पत्र का जबाब पेश कर खण्डन किया जाना अधी. न्यायालय की पत्रावली में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि में रेस्पों. का क्या हक व अधिकार बनता है इसका निर्णय तो मूल वाद में तय होगा। यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि

30/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का किसी प्रकार से हस्तांतरण हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भावना रहेगी एवं वादी रेस्पों. के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर